प्रपत्र: क

1.4.2015 को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी अस्पतालों और उनके बिस्तरों की संख्या पर सूचना संग्रहण हेतु

(प्रपत्र भरने से पूर्व कृपया अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम : _____

पद्धति का नाम		1.4.2014 को विद्यमान अस्पतालों की कुल संख्या								2014-15 के दौरान स्थापित किए गए अस्पतालों की कुल संख्या								1.4.2015 को विद्यमान अस्पतालों की कुल संख्या							
		सरकारी		स्थानीय निकाय		अन्य		योग		सरकारी		स्थानीय निकाय		अन्य		योग		सरकारी		स्थानीय निकाय		अन्य		योग	
		अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर	अस्पताल	बिस्तर
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
आयुर्वेद	शहरी																								
	ग्रामीण																								
यूनानी	शहरी																								
	ग्रामीण																								
सिद्ध	शहरी																								
	ग्रामीण																								
योग	शहरी																								
	ग्रामीण																								
प्रा. चिकि.	शहरी																								
	ग्रामीण																								
सोवा-रिग्पा	शहरी																								
	ग्रामीण																								
होम्योपैथी	शहरी																								
	ग्रामीण																								
योग	शहरी																								
	ग्रामीण																								

दिनांक:

हस्ताक्षर और मोहर

नाम

फोन/मोबा.

ई-मेल आईडी

<u>प्रपत्र-क भरने के लिए अनुकरणीय अनुदेश</u>

(1) विशेषीकृत स्टाफ और उपस्करों द्वारा स्वास्थ्य परिचर्या उपचार प्रदान करने के लिए बनी एक संस्था है और हमेशा नहीं किंतु अक्सर लंबे समय तक रोगियों को रूकने की व्यवस्था प्रदान करती है। अस्पतालों में समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसीज) भी शामिल होते हैं। जिन अस्पतालों में बिस्तर नहीं होते उन्हें अस्पताल बल्कि औषधालय माना जाना चाहिए।

(2) शिक्षण उद्देश्यों इत्यादि के लिए स्थापित जो अस्पताल अपनी बिस्तर संख्या सहित विभिन्न भारतीय चिकित्सा पद्धतियों एवं होम्योपैथी के लिए बने सरकारी चिकित्सा कॉलेजों से संबद्ध हों, उन्हें भी प्रपत्र में उल्लिखित अस्पतालों और उनके बिस्तरों का अभिन्न अंग माना जाना चाहिए।

(3) यदि कोई संयुक्त अस्पताल अर्थात् ऐसा बिस्तर युक्त अस्पताल जो दो या उससे अधिक पद्धतियों का हो तो उसे प्रत्येक पद्धति का पृथक अस्पताल गिना जाएगा, उदाहरणार्थ- यदि एक ऐलोपैथी अस्पताल में 30 बिस्तरों सहित कोई आयुर्वेदिक खंड हो तो उसे 30 बिस्तरों वाला आयुर्वेदिक अस्पताल गिना जाए। इसी प्रकार यदि एक अस्पताल में 60 बिस्तर (30 आयुर्वेद के, 20 सिद्ध के, 10 यूनानी पद्धति के) हों तो उन्हें तीन अस्पताल गिना जाए, एक आयुर्वेद का, एक सिद्ध का और एक यूनानी चिकित्सा का जिनकी बिस्तर संख्या क्रमशः 30, 20 और 10 है।

(4) स्थानीय निकायों का अभिप्रायः उन निकायों से हैं जो 'स्थानीय स्व-शासन' अर्थात् शहरी स्थानीय निकायों (नगर पंचायत, नगर पालिकाएं, शहरी नगर निगम इत्यादि); पंचायती राज संस्थाओं (जिला पंचायतें, ब्लॉक, तालुका पंचायतें, ग्राम पंचायती); भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची द्वारा अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्रों के अधीन गठित स्थानीय निकायों; भारत के संविधान की छठी अनुसूची द्वारा सूचित स्वायत्त जिला परिषदों एवं स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों तथा राज्य विधान पालिकाओं द्वारा अधिसूचित स्वायत्त परिषदों/स्थानीय निकायों के तत्वावधान में गठित किए गए हों।

(5) सरकारी" एवं "स्थानीय निकायों" की श्रेणियों में न आने वाले अस्पताल "अन्यों" में शामिल किए जाएंगे।

"अन्य" शीर्ष के अधीन निम्नलिखित शामिल किए जाएं:

(क) सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले अथवा न करने वाले निजी रूप से प्रबंधित अस्पताल।

(ख) शिक्षण उद्देश्यों के लिए गैर सरकारी आयुष कॉलेजों से संबद्ध अस्पताल।

(ग) स्वैच्छिक संगठनों (गैर सरकारी संगठनों इत्यादि), न्यासों, सिविल सोसाइटियों इत्यादि के नियंत्रणाधीन अस्पताल।

(6) कॉलम संख्या 8 और 9 में दी गई सूचना वही होनी चाहिए जो पिछले वर्ष दी गई थी। यदि इसमें कुछ भिन्नता हो तो कृपया उसके कारणों का वर्णन किया जाए।